प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 18.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा बाईक फिसल जाने के कारण घायल एक व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत पौली से कालर सुजीत पुत्र त्रिलोकी सा0 बेदूखोर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ने मोटरसाईकिल फिसल जाने के कारण स्वयं के घायल हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजनाथ यादव, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 227 वाहनों से 1,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 227 वाहनों से 1,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने व गाली गलौज, धमकी देने के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जहीरुल्लाह पुत्र रमजान निवासी तरकुलवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्तगण अब्बास अली, इलियास पुत्रगण अहमद हुसेन निवासीगण तरकुलवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के द्वारा वादी के साथ मारपीट करने व गाली गलौज, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री राजमन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 162/2011 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण अब्बास अली, इलियास उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 323,504,506 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक अभियुक्तगण को 3000-3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 136/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुजीत साहनी पुत्र हरिद्वार साहनी निवासी ढोढ़ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को बढ़या ठाठर चौराहे से आज दिनाँक 18.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 13.04.2026 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व वादिनी द्वारा अभियुक्त के घर पूछने जाने पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादिनी को गाली गलौज देते हुए मारने के लिए दौड़ा लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 18.04.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 चन्दन यादव।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने व गाली गलौज, धमकी देने के मामले में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.04.2026 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती सुन्नत निशा पत्नी करीम निवासी मोतीपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्ता हसीना पुत्री नसीब निवासी मोतीपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करने व गाली गलौज, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री राजमन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 175/2014 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्ता हसीना उपरोक्त को उपरोक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तो को धारा 323,504,506 भादवि के अपराध हेतु न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।